

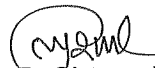
No.J.11011/1/2013-Admn
Government of India
Ministry of Water Resources

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg
New Delhi, dated 15th January, 2014

Subject: **Inspection of Service Books**

The undersigned is directed to say vide this Section's communication of even no. dated 18.11.2013, a schedule was circulated to all officials in the Ministry for inspecting their Service Books during November – December, 2013. As a number of officers have not yet inspected their Service Book, it has been decided to schedule another programme for the inspection of the Service Books. Accordingly, all officers/ employees of MoWR who have not inspected their Service Books during November – December, 2013 are requested to kindly inspect their Service Books in Administration Section between **2.00 to 3.00 p.m.** as per the schedule given below :-

S.No.	Wing/ Division	Date
1.	Finance Wing i.e. IFD, Budget & Cash	3.2.2014 &
2.	National Water Mission	4.2.2014
3.	MI Stat Wing	5.2.2014 &
4.	Indus Wing	6.2.2014
5.	Pen. River Wing	7.2.2014 &
6.	State Projects Wing	10.2.2014
7.	PP Wing	11.2.2014 &
8.	Canteen Staff	12.2.2014
9.	Ganga Wing	13.2.2014 &
10.	B&B Wing	14.2.2014
11.	EA Wing	17.2.2014 &
12.	IEC, E-II, ID and WQ Sections	18.2.2014
13.	GW Desk, CGWB Desk, GA, e-Gov & PSU Sections	19.2.2014 &
14.	IWSU, Coord, Vig, Estt-I, E-III & Parl Sections	21.2.2014 &
15.	Personal Staff working in O/o Minister (WR), Secretary (WR) and SS (WR)	24.2.2014
16.	Any officers/ staff that are left out	25.2.2014 &
		26.2.2014


(L.P. Sharma)

Under Secretary to the Govt. of India
Tel. No. 23738126
Email: usadmn-mowr@nic.in

To,

1. All Wing Heads in the Ministry
2. All Officers/ Section/ Units/ Desks in the Ministry
3. Canteen Staff
- ✓ 4. NIC Cell – for uploading on the circular page of intranet

Copy to

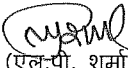
1. US (e-Gov) – With reference to their communication dated J-11-11/1/2013-e-Gov. dated 12.11.2013.
2. Sr. PPS to Secretary (WR)/ PS to AS (WR)/ PS to JS (A & GW)/ PS to JS (PP)/ PPS to JS & FA (WR)

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी, 2013

विषय:- सेवा पुस्तिकों का निरीक्षण।

अधोहस्ताक्षरी को इस अनुभाग के समसंख्यक संप्रेषण दिनांक 18.11.2013 के संबंध में यह कहने का निदेश हुआ है कि मंत्रालय के सभी अधिकारियों को नवम्बर-दिसम्बर, 2013 के दौरान सेवा पुस्तिका के निरीक्षण के लिए एक कार्यक्रम तय किया गया था। चूंकि बहुत से अधिकारियों ने अभी तक अपनी सेवा पुस्तिका का निरीक्षण नहीं किया है, सेवा पुस्तिका के निरीक्षण के लिए एक और कार्यक्रम चलाने का निर्णय किया गया है। तदनुसार, सभी जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने नवम्बर-दिसम्बर, 2013 के दौरान अपनी सेवा पुस्तिका का निरीक्षण नहीं किया है, से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित सूची के अनुसार 2 से 3 बजे के बीच प्रशासन अनुभाग में अपनी सेवा पुस्तिका का निरीक्षण कर लें:-

क्र. सं.	स्कंध/प्रभाग	दिनांक
1.	वित्त स्कंध अर्थात् आई.एफ.डी, बजट एवं रोकड़	3.2.2014 एवं
2.	राष्ट्रीय जल मिशन	4.2.2014
3.	एम.आई. स्टेट स्कंध	5.2.2014 एवं
4.	सिंधु स्कंध	6.2.2014
5.	पेन. रिवर स्कंध	7.2.2014 एवं
6.	स्टेट प्रोजेक्ट स्कंध	10.2.2014
7.	पी.पी. विंग	11.2.2014 एवं
8.	कैंटीन स्टाफ	12.2.2014
9.	गंगा स्कंध	13.2.2014 एवं
10.	बी एण्ड बी स्कंध	14.2.2014
11.	ई.ए. स्कंध	17.2.2014 एवं
12.	आई.ई.सी, ई-II, आई.डी. एवं डब्ल्यू. क्यू. अनुभाग	18.2.2014
13.	भू-जल डेस्क, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड डेस्क, सामान्य प्रशा., ई-गर्वनेंस एवं पी.एस.यू. अनुभाग	19.2.2014 एवं 20.2.2014
14.	आई.डब्ल्यू.एस.यू., समन्वय, सर्तकता, स्था-I, ई-III एवं संसद अनुभाग	21.2.2014 एवं 24.2.2014
15.	मंत्री (जल संसाधन) में कार्य कर रहे व्यक्तिगत स्टाफ, सचिव (जल संसाधन) और विशेष सचिव (जल संसाधन)	
16.	कोई भी अधिकारी/कर्मचारी जो उपरोक्त में शामिल नहीं हैं	25.2.2014 एवं 26.2.2014


(एल.पी. शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 2373 8126

ई-मेल: usadmn-mowr@nic.in

प्रति:-

1. मंत्रालय के सभी स्कंध प्रमुख।
2. मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग/ईकाई/डेस्क।
3. कैंटीन स्टाफ।
- ✓ 4. एन.आई.सी. सैल- इंटरनेट के परिपत्र पेज में अपलोड करने हेतु।

प्रतिलिपि:-

1. अवर सचिव(ई-गर्वनेंस)- पत्राचार सं. जे-11-11/1/2013-ई-गर्वनेंस दिनांक 12.11.2013 के संदर्भ में।
2. सचिव (जल संसाधन) के प्रमुख निजी सचिव/ अपर सचिव(जल संसाधन) के निजी सचिव/ संयुक्त सचिव(प्रशा. एवं भू-जल) के निजी सचिव/संयुक्त सचिव(पी.पी.) के निजी सचिव/संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के निजी सचिव।